vinetur

जर्मनी ने स्पार्कलिंग वाइन कर में 20% बढ़ोतरी की योजना छोड़ी

फैसले से उत्पादकों पर नई लागत का बोझ नहीं पड़ेगा। अधिकारियों ने चेताया था कि ऊंचा कर वाइन बाजारों में बिक्री का संकट गहरा सकता है।

गुरुवार, 12 नवंबर 2026



राइनलैंड-पैलेटिनेट के कृषि, अंगूर की खेती, पर्यावरण और वन मंत्रालय के बुधवार, 11 नवंबर को जारी बयान के अनुसार, जर्मनी में स्पार्कलिंग वाइन कर में प्रस्तावित 20% बढ़ोतरी लागू नहीं होगी।

राज्य की वाइन मंत्री Christine Schneider ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे वाइन उद्योग तथा वाइन उत्पादक क्षेत्र के रूप में राइनलैंड-पैलेटिनेट के लिए अहम नतीजा बताया। मंत्रालय ने कहा कि Schneider ने शुरुआती दौर से ही संघीय सरकार की योजना का विरोध किया था। उनका तर्क था कि कर बढ़ने से उस क्षेत्र पर दबाव और बढ़ेगा, जो पहले से कमजोर बिक्री और कठिन बाजार परिस्थितियों से जूझ रहा है।

बयान में Schneider ने कहा, “हमने शुरुआत से ही इस अतिरिक्त बोझ का स्पष्ट विरोध किया और हमें सफलता मिली।

स्पार्कलिंग वाइन कर नहीं बढ़ाया जाएगा। यह हमारे वाइन उद्योग के लिए एक अच्छा और महत्वपूर्ण संकेत है, जो पहले से ही बेहद कठिन स्थिति में है।"

बयान के मुताबिक, Schneider ने प्रस्तावित कर वृद्धि की आलोचना करते हुए कहा था कि इससे संघीय बजट को स्थिर करने में कोई सार्थक योगदान दिए बिना उद्योग का बिक्री संकट और गहरा जाता। उन्होंने कहा कि अंगूर उत्पादकों, स्पार्कलिंग वाइन निर्माताओं और व्यापक कारोबार को नई लागतों के बजाय भरोसेमंद कारोबारी परिस्थितियों की जरूरत है।

राइनलैंड-पैलेटिनेट जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण वाइन क्षेत्रों में से एक है और मंत्रालय ने इस मुद्दे को केवल बजट का सवाल नहीं माना। उसके अनुसार, बढ़ोतरी रोकना इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालीन संभावनाओं के बारे में भी एक संकेत था, जिसका राज्य के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक—दोनों तरह का महत्व है।

बयान में यह नहीं बताया गया कि संघीय सरकार ने प्रस्ताव को औपचारिक रूप से कब छोड़ा या इसे व्यापक राजकोषीय पैकेज से हटाया गया है या नहीं। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि प्रस्तावित बढ़ोतरी से बर्लिन को कितनी अतिरिक्त आय होने की उम्मीद थी। बयान का ध्यान इसके बजाय उद्योग पर पड़ने वाले असर और इस उपाय के प्रति Schneider के विरोध पर रहा।

पेय कारोबार के लिए इस फैसले का अर्थ है कि जर्मनी में बिकने वाली स्पार्कलिंग वाइन—घरेलू उत्पादों और आयातित बोतलों सहित—पर तत्काल कर दबाव बढ़ने की आशंका नहीं रही। इससे उत्पादकों, बोतलबंद करने वाली कंपनियों, आयातकों और वितरकों को ऐसे समय में कीमतों और अनुबंधों की अधिक निश्चितता के साथ योजना बनाने में मदद मिल सकती है, जब वाइन बाजार के कुछ हिस्से पहले से दबाव में हैं। इससे यह जोखिम भी घट सकता है कि अतिरिक्त कर लागत का बोझ खुदरा दुकानों की अलमारियों पर ऊंची कीमतों या रेस्तरां और बार की वाइन सूची में महंगे दामों के रूप में उपभोक्ताओं पर डाला जाता।

पेय बाजार में स्पार्कलिंग वाइन का स्थान संवेदनशील है, क्योंकि इसकी प्रतिस्पर्धा सिर्फ वाइन के भीतर ही नहीं, बल्कि सुपरमार्केट, विशेष दुकानों और आतिथ्य स्थलों में बिकने वाले अन्य मादक पेयों से भी है। ऐसी स्थिति में कर में अपेक्षाकृत मामूली बदलाव भी कीमतों, प्रचार और स्टॉक संबंधी फैसलों को प्रभावित कर सकता है। बढ़ोतरी को खारिज करके सरकार का यह ताजा कदम फिलहाल मौजूदा कर व्यवस्था को बनाए रखता दिखता है। इससे उस समय की तुलना में क्षेत्र को निकट भविष्य की अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलती है, जब प्रस्ताव पर चर्चा जारी थी।

घोषणा के साथ Schneider ने ऐसी व्यापक नीतिगत सोच की पैरवी की, जो उत्पादकों पर नए बोझ डालने से बचे। मंत्रालय के मुताबिक, उन्होंने कहा कि जो भी वाइन उद्योग को मजबूत करना चाहता है, उसे उसके रास्ते में नई बाधाएं डालना बंद करना चाहिए और इसके बजाय समर्थन तथा भरोसेमंद परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नतीजे से क्षेत्र के हितों की रक्षा में स्पष्ट रुख अपनाने का महत्व सामने आया है।

बयान में इस फैसले को न सिर्फ स्पार्कलिंग वाइन उत्पादकों, बल्कि राइनलैंड-पैलेटिनेट की व्यापक वाइन अर्थव्यवस्था की जीत बताया गया। यहां स्थिर वाइन और स्पार्कलिंग वाइन का उत्पादन क्षेत्रीय कृषि, प्रसंस्करण और व्यापार से गहराई से जुड़ा है। मंत्रालय ने किसी नए सहायता उपाय का ब्योरा नहीं दिया, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट था : राज्य सरकार के अनुसार, बिक्री और मुनाफे पर भारी दबाव झेल रहे उद्योग के लिए कर बढ़ाने का समय गलत होता।